भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 88

08 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वच्छ मासिक-धर्म स्वास्थ्य पद्धतियां

***88. श्री प्रतापराव जाधव:**

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय मासिक-धर्म स्वच्छता सम्बन्धी नीति बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त नीति बनाने के लिए व्यक्तिगत जानकारी के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों के साथ राष्ट्रव्यापी परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में हितधारकों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) पश्चिम बंगाल सहित देश भर में मासिक-धर्म स्वच्छता योजना (एमएचएस) के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित और संवितरित की गई है;

(ङ) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितनी किशोरियों को एमएचएस से लाभ हुआ है;

(च) सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में युवतियों में सुरक्षित और स्वास्थ्यकर मासिक-धर्म स्वास्थ्य पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और देश भर के विद्यालयों में किशोरियों के लिए कितनी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (छ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

08 दिसंबर, 2023 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 88 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): मासिक धर्म स्वच्छता नीति (एमएचपी) के मसौदे में महिलाओं में मासिक धर्म की शुरूआत से लेकर रजोनिवृत्ति तक उनकी विशिष्ट जरूरतों को समझते हुए उनके मासिक धर्म की समग्र यात्रा के दौरान व्यापक सहायता सुनिश्चित की गई है, जिसमें अल्पसेवित और कमजोर जनसंख्या वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। मासिक धर्म स्वच्छता संसाधनों तक निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित की जाती है और उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा किया जाता है। यह नीति जागरूकता पैदा करने, सामाज की रूढ़ियों को दूर करने तथा मासिक धर्म स्वच्छता को जीवन के एक प्राकृतिक और सामान्य भाग के रूप में ग्रहण करने में समाज को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरक का काम करेगी। मसौदा एमएचपी का उद्देश्य मासिक धर्म वाली महिलाओं के स्वास्थ्य, कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। मसौदा नीति के उद्देश्य हैं:

- मासिक धर्म वाली महिलाओं, लड़कियों और व्यक्तियों के लिए मासिक धर्म के सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापरक उत्पादों और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- महिलाओं, लड़कियों, पुरुषों और लड़कों सहित सभी लोगों के लिए ऐसा अनुकूल माहौल बनाना जिससे कि मासिक धर्म पर सही जानकारी मिल सके और मासिक धर्म से जुड़े मिथक, हीनता और लिंगभेद संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके।
- केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और तत्संबंधी हितधारकों और क्षेत्रों के बीच एक समन्वय-तंत्र की व्यवस्था करना।
- घरों, स्कूलों/शैक्षिक संस्थानों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों सहित सभी प्रतिष्ठानों में 'मासिक धर्म हितैषी वातावरण' तैयार करना।
- सामाजिक उद्यमियों और निजी क्षेत्र के साथ नवाचारी प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- मासिक धर्म के अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी निपटान।

(ग): व्यापक मासिक धर्म स्वच्छता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्र स्तरीय परामर्श बैठक जुलाई 2023 में आयोजित की गई थी। इस परामर्श में विभिन्न मंत्रालयों नामत: शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सहभागियों के साथ-साथ राज्यों के अधिकारियों, शैक्षिक संस्थाओं, अनुसंधान संगठनों के प्रतिनिधियों, विकास भागीदारों और निजी क्षेत्र के भागीदारों ने भाग लिया। माननीय सदस्यों ने मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने में न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में किए जा रहे कार्य पर मूल्यवान सुझाव दिए जिन्हें यहां के परिवेश के प्रति प्रासंगिक और अनुकूल बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय परामर्शदात्री बैठक का ब्यौरा **अनुलग्नक 'क'** में दिया गया है।

(घ): वित्त वर्ष 2022-23 में एनएचएम के तहत मासिक धर्म स्वच्छता के लिए अनुमोदित की गई राशियों और किए गए खर्च का पश्चिम बंगाल राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुलग्नक 'ख'** में दिया गया है।

(ङ): ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित लाभार्थियों का समेकित ब्यौरा **अनुलग्नक 'ग'** में दिया गया है।

(च) और (छ): स्कूलों में किशोरियों को सुरक्षित और स्वच्छ मासिक धर्म की स्वस्थ आदतों के बारे में मौजूदा सेवा प्रदायगी और स्वास्थ्य संवर्धन तंत्रों के माध्यम से जागरूक किया जाता है। इसके अलावा, किशोरियों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सर्वव्यापी सूचना शिक्षा संचार (आईईसी)/ व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं, जिन पर व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत तत्संबंधी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की कार्यक्रम योजना (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मंजूर की गई निधियों से किया जाता है।

इसके अलावा, सचिव, डीओएसईएल और सचिव, जल शक्ति मंत्रालय के दिनांक 08.03.2022 के एक संयुक्त पत्र के मार्फत राज्यों को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्धारित की गई निधियों का उपयोग करने की सलाह दी गई है- 1) मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) और ग्राम स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II के अंतर्गत मासिक धर्म अपशिष्ट का प्रबंधन। 2) जिन स्कूलों में कक्षा VI से कक्षा XII तक की लड़कियां पढ़ती हैं उनमें इनसिनरेटर्स स्थापित करना और उनका रखरखाव करना और 3) किशोरियों में और सामान्य तौर पर समाज में एमएचएम पर जागरूकता पैदा करना।

अनुलग्नक 'क'

<u>नीति परामर्श कार्यक्रम पर नोट</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12 जुलाई, 2023 को राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति तैयार करने के लिए एक परामर्शदात्री बैठक आयोजित की। इस आयोजन का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों को एक साथ आने और राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति के प्रथम मसौदे के लिए मासिक धर्म स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करना।

इस आयोजन में 75 सहभागियों ने भाग लिया जिनमें 6 केंद्रीय मंत्रालयों से आए अधिकारी, 9 राज्य सरकारों के स्वास्थ्य अधिकारी, नीति आयोग, विकास भागीदार, गैर सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान, पेशेवर संघ और निजी क्षेत्र के संगठन (सूची संलग्न) के प्रतिनिधि शामिल हैं।

यह बैठक उद्घाटन सत्र से आरंभ हुई जिसमें एएस एंड एमडी (एनएचएम) ने मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों और इनमें देश में हुई प्रगति पर चर्चा की। शिक्षा मंत्रालय, फार्मा विभाग ने मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता पर उनके मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर चर्चा की।

ओएसडी (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) ने अपने विशेष संबोधन में मासिक धर्म स्वास्थ्य का सुरक्षित और स्वच्छ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सूचना शिक्षा संचार संबंधी क्रियाकलापों के साथ-साथ विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारी पद्धतियों को शामिल करने पर बल दिया।

सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) ने अपने प्रमुख संबोधन में देश की सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए समग्र और समावेशी नीति सृजित करने की दिशा में कार्य करने पर बल दिया जोकि सभी हितधारकों की सहभागिता से तैयार किया जाने वाला समग्र सरकार का दस्तावेज है।

इसके बाद, दूसरे सत्र में राज्यों के प्रतिनिधियों ने मासिक धर्म स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलापों, नवाचारों और विकास भागीदारों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियों को प्रस्तुत किया, जिसमें वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही सर्वोत्तम पद्धतियों पर भी चर्चा की।

सहभागियों की सूची - 12 जुलाई 2023	
क्र.सं.	**संगठन/विभाग**
1	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
2	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
3	शिक्षा मंत्रालय
4	रसायन और उर्वरक मंत्रालय (फार्मास्यूटिकल्स विभाग)
5	मातृ स्वास्थ्य प्रभाग
6	नीति आयोग
7	कर्नाटक

8	तेलंगाना
9	पश्चिम बंगाल
10	गुजरात
11	असम
12	ओडिशा
13	झारखंड
14	तमिलनाडु
15	उत्तर प्रदेश
16	आईसीएमआर
17	सफदरजंग अस्पताल
18	एम्स
19	एलएचएमसी
20	एफओजीएसआई
21	डब्ल्यूएचओ
22	यूएसएआईडी
23	यूनिसेफ
24	यूएनएफपीए
25	जेएचपीआईईजीओ
26	गेट्स फाउंडेशन
27	यूनेस्को
28	वात्सल्य फाउंडेशन: अर्थन इनसिनेरेटर्स
29	गूंज
30	दशहरा
31	सिनी
32	सी 3
33	वाटरएड
34	चेतना
35	मेन्सट्रुअल हैल्थ एक्शन
36	सुलभ इंटरनेशनल
37	पी एंड जी
38	जे एंड जे
39	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड

अनुलग्नक 'ख'

मासिक धर्म स्वच्छता स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एसपीआईपी में किए गए अनुमोदन और व्यय का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**एसपीआईपी अनुमोदन**	**व्यय**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-
2	आंध्र प्रदेश	2,009.08	2,000.00
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-
4	असम	274.01	5.84
5	बिहार	106.50	-
6	चंडीगढ़	-	-
7	छत्तीसगढ़	-	-
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.00	-
9	दिल्ली	348.27	0.80
10	गोवा	6.03	4.13
11	गुजरात	50.00	30.32
12	हरियाणा	-	-
13	हिमाचल प्रदेश	100.00	0.67
14	जम्मू और कश्मीर	463.71	137.04
15	झारखंड	-	0.85
16	कर्नाटक	20.16	-
17	केरल	195.26	38.86
18	लद्दाख	-	-
19	लक्षद्वीप	8.63	-
20	मध्य प्रदेश	91.40	-
21	महाराष्ट्र	2,092.03	566.51
22	मणिपुर	116.78	116.20
23	मेघालय	2.00	0.00
24	मिजोरम	-	-
25	नगालैंड	22.19	104.25
26	ओडिशा	791.67	453.58
27	पुदुचेरी	36.00	-
28	पंजाब	1,181.65	45.28
29	राजस्थान	-	-
30	सिक्किम	40.10	0.78
31	तमिलनाडु	4,588.50	0.02
32	तेलंगाना	3,032.17	4.00
33	त्रिपुरा	112.72	71.85
34	उत्तर प्रदेश	-	-
35	उत्तराखंड	147.65	-
36	पश्चिम बंगाल	3,892.51	932.35

नोट: एसपीआईपी में किए गए अनुमोदन और व्यय राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई और उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों के अनुसार हैं और ये अनंतिम हैं।

अनुलग्नक 'ग'

वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 (अक्टूबर 23 तक) के लिए मासिक धर्म स्वच्छता स्कीमों के अंतर्गत सेनेटरी नैपकिन पैक प्राप्त करने वाली किशोरियों (10-19 वर्ष) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल '23 से अक्टूबर '23)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	939	13
2	आंध्र प्रदेश	14791830	5963209
3	अरुणाचल प्रदेश	296	7273
4	असम	2988	514734
5	बिहार	0	6316
6	चंडीगढ़	0	100000
7	छत्तीसगढ़	37	28224
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	34814	32382
9	दिल्ली	0	398
10	गोवा	0	11269
11	गुजरात	3114637	132183
12	हरियाणा	744063	259831
13	हिमाचल प्रदेश	641958	3409
14	जम्मू और कश्मीर	1205046	173281
15	झारखंड	97461	7705
16	कर्नाटक	318802	5613
17	केरल	11880	80166
18	लद्दाख	190511	65508
19	लक्षद्वीप	0	579
20	मध्य प्रदेश	85317	68581
21	महाराष्ट्र	1011173	826187
22	मणिपुर	99746	17136
23	मेघालय	0	1238
24	मिजोरम	1344	1361
25	नगालैंड	10625	9521
26	ओडिशा	3825598	629169
27	पुदुचेरी	0	243
28	पंजाब	6172	1861
29	राजस्थान	0	682201
30	सिक्किम	49	478
31	तमिलनाडु	23060268	4586360
32	तेलंगाना	283	3920
33	त्रिपुरा	765354	16315
34	उत्तराखंड	248638	159529
35	उत्तर प्रदेश	986548	251618
36	पश्चिम बंगाल	2882102	7259013

स्रोत: एचएमआईएस

सैनिटरी नैपकिन से लाभान्वित लड़कियों की संख्या में एनएचएम और राज्य निधि पोषित दोनों तरह की स्कीमों के लाभार्थी शामिल हैं।

नोट: वित्त वर्ष 2023-24 का डाटा अनंतिम है और इसे स्थिर नहीं किया गया, चूंकि नए एचएमआईएस फोर्मेट इस साल अप्रैल 2023 के बाद से शुरू किए गए थे, ऑनलाइन डाटा एंट्री जून 2023 में ही शुरू की गई थी। यह डाटा एनएचएम और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निधिपोषित दोनों तरह की स्कीमों के हैं।

*****